

e-Tender अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 05/2026-27

(ई-टेंडरिंग द्वारा www.eproc2.bihar.gov.in)

1. विज्ञापन दाता का नाम एवं पता : नगर आयुक्त, नगर निगम मुंगेर।
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि : दिनांक-01.06.2026
3. टेंडर कागजात डाउनलोड करने की अवधि : दिनांक- 17.06.2026 से 23.06.2026 के 15:00 बजे तक
(on website www.eproc2.bihar.gov.in)
4. प्री बिड मीटिंग का समय स्थान/तिथि : समय 11:00 बजे तिथि- 18.06.2026
स्थान :- नगर निगम, मुंगेर।
5. संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि/समय : दिनांक- 24.06.2026 को 15:00 बजे तक।
(on website www.eproc2.bihar.gov.in)
6. निविदा खोलने की तिथि/समय : दिनांक- 25.06.2026 को 15:30 बजे।
(On website www.eproc2.bihar.gov.in)
7. सभी शपथ पत्र (मूल में), Existing Commitment मूल में एवं अन्य निविदा दस्तावेज की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि/समय एवं स्थान : दिनांक- 25.06.2026 को 15:00 बजे तक।
स्थान-1. नगर आयुक्त का कार्यालय, नगर निगम, मुंगेर।
2. कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, नगर विकास प्रमण्डल, नगर निगम क्षेत्र, मुंगेर।
8. कार्य का विवरण:-

गुप सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (Rs)	अग्रधन की राशि (Rs)	परिमाण विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (Rs)	Bid Processing Fee (Through online payment) (अप्रत्यर्पणीय) (Rs)	कार्य समाप्ति की अवधि (इन्क्लूडिंग मौनसून अवधि) माह में
1	2	3	4	5	6	7
01	गुप सं०- 01, वार्ड सं०- 01 में नगर निगम, मुंगेर क्षेत्रान्तर्गत लालदरबाजा स्थित विद्युत शवदाहगृह में खराब पड़े यंत्रों की मरम्मत इत्यादि का कार्य। (पन्द्रहवी वित्त मद से)	27,16,360	54,400	5,000	बेल्ट्रान द्वारा निर्धारित दर	दो माह

Note: Bidders should submit Bid Processing Fees through online Payment as per amount generated on website www.eproc2.bihar.gov.in

09. निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन
10. निविदा कागजात अपलोड करने से पूर्व संवेदक को "Bid Processing Fee" निम्न विधि से जमा करना होगा :-
 - (i) "Bid Processing Fee" is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet Payment gateway (Credit/debit Card) , Net Banking. NEFT/RTGS.
 - (ii) "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/non submission of tender/Non Reconciliation of online payment caused due to Non-availability of internet connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."

11. उक्त कार्य हेतु संबंधित श्रेणी में निबंधित कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/लोक उपक्रम में निबंधित हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के हैं निविदा में भाग ले सकते हैं परन्तु उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्राप्त होने के बाद एवं एकरारनामा के पूर्व पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग में निबंधन कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन का निर्माण कार्य होगा, तो भवन निर्माण कार्य का निबंधन भी मान्य होगा।
12. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in अथवा www.prdbihar.gov.in में देखा जा सकता है।
13. ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों का ई-टेन्डरिंग के Service Provider के पास पंजीकृत होना होगा जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) एवं अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) निर्गत की जायेगी। यह उन्हें (www.eproc2.bihar.gov.in) से डाउनलोड करने/ई-टेन्डर की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्यता प्रदान करेगा। इसके लिए हेल्प डेस्क प्रथम तल्ला एम/22 बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग रोड नं०-25, श्री कृष्णा नगर, पटना-800020, दूरभाष संख्या-0612-2523006, मोबाइल संख्या-9939035696/7542028164 से सम्पर्क किया जा सकता है।
14. संवेदकों को कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
15. स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी-4 में निबंधित संवेदकों के पास सभी कार्य विभागों द्वारा आवंटित कार्यों में से Existing Commitment यदि 75 लाख (पचहत्तर लाख) रुपये से अधिक है तो वे संवेदक इस निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।
16. **परिमाण विपत्र का मूल्य**
परिमाण विपत्र का मूल्य Website (www.eproc2.bihar.gov.in) के ऑनलाईन मोड के माध्यम से जमा किया जाना है।

(1) अग्रधन

(क) परिमाण विपत्र की राशि घट-बढ़ सकती है। तदनुसार अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार परिमाण विपत्र के दो प्रतिशत की दर से अग्रधन की राशि देय होगी। जो न्यूनतम 100 के गुणक में होगी।

(ख) अग्रधन की राशि Website (www.eproc2.bihar.gov.in) के ऑनलाईन मोड के माध्यम से जमा किया जाना है।

(ग) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार की सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

(2) निविदा के समय जमा (अपलोड) किये जाने वाले कागजात स्वहस्ताक्षरित होने चाहिये जिसे स्वसत्यापित माना जायेगा।

(क) वैध निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।

(ख) साझेदार फार्म/कम्पनी के मामले में डीड एवं अर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की प्रति।

(ग) पैन कार्ड की प्रति।

(घ) G.S.T निबंधन प्रमाण पत्र से संबंधित कागजात की प्रति।

(ङ) वैध लेबर लाईसेंस की प्रति।

(च) पुलिस अधिक्षक द्वारा निर्गत अद्धतन चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति।

(3) संवेदक के अधीन लंबित सभी विभागों के अधीन निविदा की तिथि को Existing commitment कार्यों की राशि सहित सूची अपलोड करना होगा।

(4) घोषणा प्रमाण पत्र (मूल में)/(शपथ पत्र मूल में) (अपलोड)

"मैं अधोहस्ताक्षरी (साफ-साफ बड़े अक्षरों में नाम).....

सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि-

(क)मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख)मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklisted एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर किसी कार्य को विखंडित (Rescind) नहीं किया गया है।

(ग)मेरे/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमण्डल के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।

(घ)निविदा में संलग्न सभी प्रमाण पत्र, कागजात विवरणी जाली एवं गलत नहीं हैं।

उपर्युक्त कंडिका 'क' 'ख' 'ग' 'घ' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके उपर विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा। चूंकि संवेदकों का निबंधन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नहीं हो रहा है। फलस्वरूप संवेदकों को बिहार PWD CODE के बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के सुसंगत कंडिकाओं के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की जायेगी। यदि यह शर्तें संवेदकों को मान्य होगा तभी वे निविदा डालें।

(ङ)अनियोजित अभियंता निविदा देते समय कहां से/ किस वर्ष (डिग्री/डिप्लोमा) पास किये है तथा वे अब तक अनियोजित हैं से संबंधित शपथ पत्र संलग्न करना होगा। निविदा/कार्य आवंटन की प्रक्रिया लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के साथ की जायेगी। अनियोजित अभियंता के मामले में आवंटित कार्य के विरुद्ध अग्रधन की राशि 1 प्रतिशत ली जायेगी, जिसमें बैंक गारंटी भी अनुमान्य होगा। जमानत की शेष 9 प्रतिशत राशि उनके चालू विपत्र से कटौती की जायेगी।

(च) संवेदक के पास (i) मिक्सर मशीन, (ii) नोजल भाईट्रेटर, (iii) संटरिंग प्लेट, (iv) वाटर टैंकर तथा भवन निर्माण एवं सौंदर्यीकरण हेतु उपरोक्त क्रमांक- (i) से (iv) के साथ एलीवेटर एवं स्टेजिंग पाईप का भी होना आवश्यक है जो स्वयं का होना चाहिए। अथवा किराये पर लेने कि स्थिति में संवेदक एवं स्वामी दोनों को लेने देने का मूल शपथ पत्र (अपलोडेड) एवं प्रमाण के रूप में उपकरण का स्वामित्व का कागजात एवं यंत्र संयंत्र की स्वसत्यापित सूची भी अपलोड करना होगा अन्यथा निविदा अमान्य कर दिया जायेगा।

(छ) यह स्पष्ट है कि निविदा के सभी कागजात Website (www.eproc2.bihar.gov.in) पर अपलोड करना होगा जो स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए।

(ज) सभी प्रकार के शपथ पत्र एवं Existing commitment जो Website (www.eproc2.bihar.gov.in) पर संवेदक द्वारा अपलोड की जायेगी उसका मूल प्रति संवेदक को कार्यालय में निर्धारित तिथि को जमा करना अनिवार्य होगा।

(5) प्रतिशत दर निविदा

(क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाय। अंक एवं शब्दों में अंकित दरों में विसंगति होने पर शब्द में अंकित दर की मान्यता दी जायेगी।

(ख) अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक सं0-4439 (E), दिनांक- 17.07.2023 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के वाद सं0- C.W.J.C No- 9941/2022 के दिनांक- 06.07.2023 को पारित आदेश के आलोक में प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधीसीमा को समाप्त किया गया है, जिसे लागू समझा जाय। असाधारण असंतुलित दर (Serious Unbalanced Rate) उद्धृत करने पर एकरारनामा के समय अतिरिक्त Performance गारंटी (Additional Performance Guarantee) देना होगा।

17. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

18. सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/किन्हीं कार्यों को या किसी कार्य के किन्हीं अंश/अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

19. निविदा निष्पादन

(1) यदि निविदा की कंडिका संख्या 16 के अनुसार कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।

- (2) सफल न्यूनतम दर दाता संवेदक की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्ता के उपरान्त स्वीकार की जायेगी।
(3) निविदा में सफल एकाधिक संवेदकों से उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉटरी) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ ही यदि आवश्यकता हुई तो दर प्रक्रमण (दर वार्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

20. **एकरारनामा**

- (क) निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 10 दिनों के अंदर लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र F2 (कंडिका-23 विलोपित) पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा।
(ख) एकरारनामा करने के उपरान्त मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।
(ग) अविलम्ब कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित सूचनापट उसकी आकार-प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियंता के निदेशों का पालन करना होगा।

21. **अन्य शर्तें**

- (क) निविदा के निर्धारित अवधि के अंतर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
(ख) प्राक्कलित राशि घट-बढ़ सकती है तथा कार्यस्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्तन किया जा सकता है।
22. कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदकों को उनके कार्य में त्रुटि सुधार की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से 36 माह (तीन वर्ष) होगी तत्पश्चात् कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनकी जमानत की राशि विमुक्त की जायेगी।
23. e-Tendering में कार्यालय द्वारा download करने में संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय पाया जायेगा तो निविदा अमान्य किया जा सकता है।
24. तकनीकी बीड में निविदा का उतना ही कागजात संलग्न करें जितना निविदा शर्त की कंडिकाओं में अंकित है। निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओं को पूरी तरह समझने के लिये कार्यालय अवधि में निविदाकार कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमण्डल, नगर निगम क्षेत्र, मुंगेर/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर से संपर्क कर सकते हैं।
25. In the unlikely event of the server for www.eproc2.bihar.gov.in being down for more than two consecutive hours (in the period from midnight to closing time for receipt of tenders) on the last date of receiving of bid, the last date of the same shall be extended by concerned authority only to the next working day till the last receiving time stipulated in the original NIT.
26. The bidders are requested to check their file size of uploaded documents at the time of submission & they should ensure that work file is uploaded. If they feel that the complete file is not uploaded then they should click on cancel & update the same before submission. The bidders should satisfy themselves of download ability/ visibility of the scanned & uploaded file by them.
27. The bidders must use MS Office- 2003 version. File size should be less than 5MB and should be in M.S. word, M.S. Excel, PDF and JPEG Formats.
28. No claim shall be entertained on account of disruption of internet service being used by bidders. Bidders are advised to upload their bids well in advance to avoid last hour's technical snags.
29. In exceptional circumstances, the competent authority, UD & HD may solicit the Bidder's consent to an extension of the period of validity.
30. Bids that are rejected during the bid opening process shall not be considered for further evaluation, irrespective of the circumstances.
31. The bidders shall submit their eligibility and qualification details in the online standard formats given for respective tenders in e-Procurement website (www.eproc2.bihar.gov.in) at the respective stage only. The bidders shall upload the scanned copies of all the relevant certificates, documents etc., in support of their eligibility criteria / technical bids and other certificate /documents in the e-Procurement website. The bidder shall sign on the supporting statements, documents, certificates, uploaded by him, owning responsibility for their correctness /authenticity.
32. Corrigendum/ Addendum, if any, will be published on the website itself.

33. अनियोजित अभियंता के लिए कर्णांकित कार्यो हेतु-

(a) पथ निर्माण विभाग के प्र0-6/नियम-03-03/2001-1399(s) दिनांक-31.01.2008 द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(b) शपथ पत्र मूल में देना होगा कि किस वर्ष डिग्री/डिप्लोमा पास किया है तथा अबतक अनियोजित है।

(c) शपथ पत्र मूल में देना होगा कि उन्होंने 3.50 करोड़ रुपये से कम का कार्य से कम का कार्य अभी तक किया है।

 1/6/26

नगर आयुक्त
नगर निगम, मुंगेर।